उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN : U32201UP1999SGC024928

सं0–422–ज0श0 प्र0सु0 एवं प्रशि0–01/पाकालि/2023–10–ज0श0 प्र0सु0 एवं प्रशि0/2022, **दि031.03.2023**

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के शक्ति भवन मुख्यालय एवं शक्ति भवन विस्तार में तैनात/कार्यरत कार्मिकों की प्रतिदिन कार्यालय आगमन/गमन की फेस रिकग्निशन मशीन (FRM) में उपस्थिति रिकार्ड किये जाने हेतु उक्त भवनों में आवश्यक उपकरणों की स्थापना करवा दी गयी है।

उपरोक्त प्रणाली के नियमित एवं सुचारू रूप से संचालन हेतु पूर्व में निर्गत कारपोरेशन के का0ज्ञा0 संख्या–1150–स0प्र0वि0–26/पाकालि/18–33–स0प्र0वि0/85 दिनांक–25.06.2018 में निहित प्रविधानों एवं निम्नवत् प्राविधानों सहित व्यवस्था एतत्द्वारा लागू की जाती है:–

1. उक्त का0ज्ञा0 दिनांक 25.06.2018 के बायोमैट्रिक कम्प्यूटर सिस्टम एवं अंगूठा निशान (Thumb Impression) के स्थान पर Face Recognition System पढ़ा जायेगा।
2. व्यक्तिगत कारणों से जो कि 1 घंटे से अधिक ना हो, यदि किसी कार्मिक को कार्यालय से बाहर जाने की आवश्यकता होती है तो वह अपने नियंत्रक अधिकारी की अनुमति लेकर जा सकता है। अन्यथा की स्थिति में कार्मिक ई0आर0पी0 सिस्टम पर लघु अवकाश का आवेदन करके जा सकता है।
3. यदि नियंत्रक अधिकारी किसी कार्मिक को कार्यालय से सम्बन्धित कार्य हेतु कार्यालय परिसर से बाहर भेजते हैं तो नियंत्रक अधिकारी द्वारा उस कार्मिक का ऑन ड्यूटी प्रमाण पत्र (On Duty Certificate) निर्गत करके उनकी उपस्थिति बनाये रखी जाएगी।
4. मुख्य अभियन्ता एवं उच्च स्तर के अधिकारी स्वयं के लिये ऑन ड्यूटी प्रमाण पत्र (On Duty Certificate) निर्गत करने हेतु अधिकृत होंगे।
5. वह कार्मिक जो कि शिफ्ट ड्यूटी के अंतर्गत आते हैं उनके लिये भी ऊपर वर्णित प्रावधान ही विद्यमान रहेंगे। यद्यपि कार्मिकों की शिफ्ट ड्यूटी में तैनाती के विषय में नियंत्रक अधिकारी जो कि अधिशासी अभियन्ता के स्तर से कम ना हो को Face Recognition System नियंत्रक/प्रशासक को अग्रिम सूचना से अवगत कराना होगा।
6. अनिर्धारित ड्यूटी के लिये किसी भी कार्मिक की आकस्मिक तैनाती को Face Recognition System में ऑन ड्यूटी करके नियमित किया जाना होगा।
7. उपरोक्त आदेश दिनांक 01.04.2023 से प्रभावी होंगे तथा कार्मिकों की उपस्थिति उपरोक्त प्राविधानानुसार निर्धारित की जायेगी।

अध्यक्ष
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

क्रमशः.....2

संख्या–422–(i)ज0श0 प्र0सु0 एवं प्रशि0–01/पाकालि/2023, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लिमिटेड/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता, स्तर–I एवं स्तर–II, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. विधि अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अधिशासी निदेशक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा)/मुख्य महाप्रबन्धक/समस्त महाप्रबन्धक एवं उप महाप्रबन्धक उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. कम्पनी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. सचिव/उप सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा)/(आय–व्ययक)/(निधि–प्रशासन एवं सम्प्रेक्षा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), शक्ति भवन लखनऊ को उ0प्र0पा0का0लि0 की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. समस्त अधिकारी/शिविर/अनुभाग, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से

(सी0पी0 यादव)
अपर सचिव (प्रथम)

Ph-0522-221-8327/8423 Mail ID – dsmpi01uppcl@gmail.com